



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़-08/2020-21

दिनांक:- 13.05.2022
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत दिनांक 01.10.2021 से 17 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 164 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/1021 दिनांक 23.02.2022
 2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र 881/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22.12.2021

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर भी उपलब्ध है।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन


क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़-08/2020-21

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र दिनांक 23.02.2022 के संबंध में सूचनार्थ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

013533

दिनांक 23-02-2022
Date :

प्रति,

SP-219-108-733

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद	500463
3.	o/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रान्च, आडिट भवन नवरंगपुरा अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरीन लाईन्स, मुंबई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- II महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडॉंग, गंगटॉक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला	799006

26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराखण्ड, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल आडिट भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता	700001
29.	कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली	110021
30.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पनजी, गोवा	403101
31.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी	605001
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलगाना, हैदराबाद	500004
33.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट- II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 881/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22.12.2021

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/
प्रतिलिपि:

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक:81/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 03.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 881/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.12.2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

—0—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 392/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2019 से 12% (सातवें वेतनमान में) एवं 154% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	दिनांक 01.10.2021	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	17%
छठवां वेतनमान	दिनांक 01.10.2021	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10%	164%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और


उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आनंद मिश्रा)
उप सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA

MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. 881/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 22.12. 2021

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners

The State Government had sanctioned 12% (in Seventh Pay Scale) and 154%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.07.2019 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 392/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 22 August, 2019

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01.10.2021	5% of Basic Pension/ Family Pension	17%
Sixth Pay Scale	01.10.2021	10% of Basic Pension/ Family Pension	164%

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.

F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV /2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh



(Anand Mishra)

Deputy Secretary